राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–64/2023
अमरेश्वर कुमार बनाम् रूबी देवी।

यह वाद श्री अमरेश्वर कुमार, पिता–श्री गणेश प्रसाद चौरसिया, पता–मुहल्ला खास बाजार, हवेली खड़गपुर, वार्ड संख्या–12, थाना–खड़गपुर, जिला–मुँगेर द्वारा श्रीमती रूबी कुमारी, पति–श्री कुमार राज, पता–मुहल्ला खास बाजार, हवेली खड़गपुर, वार्ड संख्या–12, थाना–खड़गपुर, जिला–मुँगेर के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर परिषद्, खड़गपुर जिला–मुँगेर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री अमरेश्वर कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार कमल नयन द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती रूबी देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री आदित्य कुमार झा, एवं राजीव रौशन, अनुमण्डल पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुँगेर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल–04 संतान है, जिनमें दो संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के पूर्व का है, जबकि दो संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के उपरांत का है, जिसे जिला पदाधिकारी, मुँगेर के जाँच में प्रमाणित पाया गया है तथा इस जाँच के आधार पर ही आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते ही वाद को प्रारंभ किया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करते है कि उनको 04 संतान है। इस संबंध में उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, हवेली खड़गपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा बिट्टु कुमार की जन्मतिथि नामांकन पंजी के आधार पर 01.01.2007 तथा आन्नद कुमार की जन्मतिथि–10.03.2008 होने का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। इसी प्रकार कन्या मध्य विद्यालय, हवेली खड़गपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा रिया कुमारी की जन्मतिथि–01.01.2012 का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनके चौथे संतान को नोट्ररी पब्लिक के Affidavit-सह–गोदनामा के माध्यम से दिनांक–16.11.2021 को गोद दे दिया गया है। जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन में उक्त गोदनामा संलग्न है तथा केश रेकर्ड पर उपलब्ध है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके कुल चार संतान है, जिसमें एक को गोद दे दिया गया है। दो संतान दिनांक–04.04.2008 के पूर्व जन्म लिए थे

तथा अब वर्तमान में दिनांक–04.04.2008 के उपरांत जन्म लिया हुआ, केवल एक ही संतान उनके साथ है। अतः उनपर अयोग्यता लागू नहीं होता।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–1168/नि0, दिनांक–25.03.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–

"वाद संख्या–64/2023 में वादी श्री अमरेश्वर कुमार, पिता–श्री गणेश प्रसाद चौरसिया, पता–खास बाजार, थाना–हवेली खड़गपुर द्वारा वाद में उठाए गए बिन्दुओं की जाँच स्वयं निर्वाची पदाधिकारी (नगर परिषद्)–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर द्वारा की गयी है। उन्होंने प्रतिवेदन किया है कि श्रीमती रूबी देवी के बड़े पुत्र बिट्टु कुमार के मैट्रिक के अंक–पत्र में अंकित जन्मतिथि–01.01.2007 है तथा दूसरा पुत्र आनंद कुमार राजकीय +2 उच्च विद्यालय हवेली खड़गपुर में कक्षा 10 का छात्र है तथा उसकी जन्मतिथि–10.03.2008 है। श्रीमती रूबी देवी की तीसरी संतान रिया कुमारी कन्या मध्य विद्यालय हवेली खड़गपुर में वर्गत 07 (सात) की छात्रा है, जिसकी जन्मतिथि–01.01.2012 है एवं चौथी संतान सरस्वती शिशु मंदिर पुरानी चौक, हवेली खड़गपुर में अध्ययनरत है तथा नामांकन पंजी में उनकी जन्मतिथि–16.11.2016 दर्ज है।

निर्वाची पदाधिकारी(नगर परिषद्)–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्रीमती रूबी देवी की दो संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के पूर्व हुआ है तथा दो अन्य संतान का जन्म दिनांक–04.04.2008 के पश्चात् हुआ है। अतएव श्रीमती रूबी देवी के संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।"

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

i. "आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती रूबी देवी (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर के पद पर निर्वाचित हो गई है।

ii. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर के अंतिम जाँच प्रतिवेदन से प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी के कुल चार जीवित संतानों में से दो संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के पूर्व पहला बिट्टु कुमार जन्मतिथि–01.01.2007 तथा आनन्द कुमार, जन्मतिथि–10.03.2008, जबकि दो संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत (रिया कुमारी, जन्मतिथि–01.01.2012, सृष्टि कुमारी, जन्मतिथि–16.11.2016) है। स्वयं प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उनके दो संतानों का जन्म दिनांक–04.04.2008 के उपरांत हुआ है, जिसमें से एक संतान (पुत्री सृष्टि कुमारी) को उनके द्वारा शपथ–पत्र के आधार पर अपने संबंधी को गोद दिया गया है।

प्रतिवादी का यह दावा स्वीकार योग्य नहीं है कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उन्हें दो ही संतान पैदा हुए, अतः उनपर अयोग्यता लागू नहीं होती, क्योंकि दिनांक–04.04.2008 के पूर्व ही उन्हें दो संतान पहले से था। अतः जैसे ही दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उन्होनें तीसरी एवं चौथी संतान का जन्म दिया, उनके जीवित संतानों की कुल संख्या–04(चार) हो गई। इस प्रकार तीसरी संतान के जन्म के साथ ही उन्होनें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गई।

प्रतिवादी का गोदनामा भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा पत्रांक–3502, दिनांक–02.09.2022 से स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि गोदनामा के माध्यम से किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने संतान को किसी व्यक्ति को गोद दिया जाता है, तो भी बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के निमित जैविक माता–पिता के संतानों की संख्या को ही उनके संतानो की वास्तविक संख्या मानी जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी का गोदनामा शपथ–पत्र पर है, जो कि विधि मान्य गोदनामा नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं रूबी देवी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में तीन संतानों दो पुत्र एवं एक पुत्री के होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक पुत्री का जन्म दिनांक–04.04.2008 के उपरांत अंकित है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती रूबी देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वह वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती रूबी देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर परिषद् हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर

परिषद् हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) अभ्यर्थी बायोडाटा में प्रतिवादी द्वारा संतानों की स्थिति में दो पुत्र एवं एक पुत्री स्वयं अंकित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत उन्हें एक पुत्री हुई है। अतः इस आधार पर प्रतिवादी श्रीमती रूबी देवी का नामांकन–पत्र संवीक्षा के समय ही रद्द कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु निर्वाची पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवीक्षा के समय समुचित रीति से नहीं किया गया, जिससे एक अयोग्य व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सका एवं उसका निर्वाचन वार्ड पार्षद के पद पर हो गया। निर्वाची पदाधिकारी के इस गलती के कारण अब उक्त रिक्त पद पर पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसमें सार्वजनिक राशि का अपव्यय् होगा।

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग द्वारा यह पाया गया है कि श्रीमती रूबी देवी के नामांकन–पत्र की संवीक्षा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा समुचित रूप से किए बिना ही स्वीकार कर लिया गया है, जो इनके पदीय दायित्व के निर्वहन में चूक को प्रमाणित करता है। ऐसा होने से ये सार्वजनिक राशि के गैर इरादतन अपव्यय् के भी दोषी है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुँगेर को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रपत्र–"क" एवं आवश्यक अभिलेखों को इनके पैतृक विभाग को प्रेषित करते हुए, इसकी सूचना आयोग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(ग) प्रभारी पदाधिकारी निर्वाचन स्थापना, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला–मुँगेर को कालीसूची में शामिल किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्णयानुसार आगामी निर्वाचनों में इनका प्रतिनियोजन चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में नहीं किया जा सकें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
12.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
12.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–64/2023
पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–64/2023 2892　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–12.7.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुँगेर**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मुँगेर** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **मुँगेर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

12/7/24

विशेष कार्य पदाधिकारी